

Chmci


मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
 26, केसान भवन, अरेंग हिल्स, जेल रोड, भोपाल
 क. / बोर्ड / यो. / गैर.तक. / 01-पार्ट / 2018-19 / ७७७
 आदेश भोपाल, दिनांक 28/06/2018

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल के कार्यालयीन पत्र क्रमांक / बी-6 / नियमन / विविध / 3678 दिनांक 27.09.2008 द्वारा "मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008" में योजना अन्तर्गत क्षतिपूर्ति हेतु राशि स्वीकृति एवं भुगतान के अधिकार संबंधित जिला कलेक्टर को प्रदत्त थे।

"मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008" अन्तर्गत प्राप्त दावों के भुगतान की स्वीकृति क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान में कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदत्त वित्तीय अधिकारों में आंशिक संशोधन किया जाकर कार्यालयीन आदेश क. / बोर्ड / यो. / गैर.तक. / 01-पार्ट / 2017-18 / 758-759 दिनांक 31.03.2018 द्वारा जिला कलेक्टर के स्थान पर योजनांतर्गत आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु राशि स्वीकृति एवं भुगतान के अधिकार संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रदत्त किये गये थे।

योजना के वित्तीय संचालन में व्यावहारिक कठिनाईयां उत्पन्न होने से पूर्वतः योजना अन्तर्गत क्षतिपूर्ति हेतु राशि स्वीकृति एवं भुगतान के अधिकार संबंधित जिला कलेक्टर को प्रदत्त किये जाते हैं।

योजना की शेष शर्तें यथावत रहेंगी एवं यह आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।


 (फैज़ अहमद किदवई)
 प्रबंध संचालक-सह-आयुक्त
 म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
 भोपाल.

क. / बोर्ड / यो. / गैर.तक. / 01-पार्ट / 2018-19 / 980

भोपाल, दिनांक 28/06/2018

प्रतिलिपि :—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- (1) विशेष सहायक, मान.मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म0प्र0शासन, भोपाल।
- (2) प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
- (3) उप सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय मध्यप्रदेश, भोपाल।
- (4) संचालक, संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
- (5) कलेक्टर, जिला—.....(समस्त) की ओर कृपया अपने अधिनस्थ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अवगत कराने का कष्ट करें।
- (6) अपर संचालक(वित्त), म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय की ओर पूर्वानुसार राशि का भुगतान किया जावे।
- (7) संयुक्त संचालक / उप संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय.....(समस्त) की ओर अपने संभाग अंतर्गत जिला कलेक्टरों राशि पूर्वानुसार उपलब्ध कराई जाना सुनिश्चित करें।
- (8) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.....(समस्त) म.प्र.


 प्रबंध संचालक-सह-आयुक्त
 म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
 भोपाल.